न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 92 / 2018 अपील (RCMS/2018/00101)
पंजीयन दिनांक — 03.07.2018
निर्णय दिनांक — 09.04.2019

1. श्रीमती सज्जन कुंवर पत्नि श्री उदयसिंह राजपूत निवासी झाड़सादड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री प्रताप सिंह पिता श्री सोहन सिंह राजपूत, निवासी झाड़सादड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
2. श्री जोधसिंह पिता श्री सोहन सिंह राजपूत, निवासी झाड़सादड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
3. श्री भेरूसिंह पिता श्री सोहन सिंह राजपूत, निवासी झाड़सादड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
4. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
5. राजस्थान राज्य जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत शिशवी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री खेमराज डांगी — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1

प्रकरण संख्या—01 / 2016, श्रीमती सज्जन कुंवर बनाम श्री प्रताप सिंह राजपूत व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 09.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा प्रकरण संख्या—01 / 2016, श्रीमती सज्जन कुंवर बनाम श्री प्रताप सिंह राजपूत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अपीलान्ट श्रीमती सज्जन कुंवर द्वारा एक अपील ग्राम पंचायत शिशवी तहसील नाथद्वारा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या—1 से 3 के नाम स्वीकृत

नामान्तरकरण संख्या–308 दिनांक 04.06.2004 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक सोहनसिंह के वैधानिक उत्तराधिकारियों की जांच किए बिना नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो निरस्त योग्य है।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर निर्णय दिनांक 15.11.2016 को पारित किया कि ''सोहनसिंह के चार पुत्र थे–प्रतापसिंह, उदयसिंह, जोधसिंह, भैरूसिंह। पुत्र उदयसिंह का देहान्त सोहनसिंह के जीवत रहते हुए ही हो गया, सोहनसिंह की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या–308 ग्राम झाड़सादडी तहसील देलवाडा का खोला गया जिसमें प्रतापसिंह, जोधसिंह, भैरूसिंह पिता सोहनसिंह के नाम खोल दिया गया जबकि पुत्र उदयसिंह की पत्नि अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह नहीं लिखा कि उदयसिंह का कब देहान्त हुआ एवं सोहनसिंह का कब देहान्त हुआ। विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 04.06.2004 को ग्राम पंचायत शिशवी द्वारा स्वीकृत किया हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपील दायर करते समय जमाबंदी की नकल की प्रति संलग्न नहीं की तथा वर्तमान में क्या स्थिति है यह भी नहीं बताया। जबकि वक्त बहस प्रतिवादी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए कि जोधसिंह ने अपने हिस्से की भूमि जरिये विक्रय विलेख के दिनांक 07.07.2014 को रायसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी झाड़सादडी को बेच दी। इससे जाहिर है कि अपीलान्ट Clean Hand से इस न्यायालय में नही आये। अपील दिनांक 29.12.2015 को प्रस्तुत कर दिनांक 05.01.2016 को दर्ज की गई। जब अपील प्रस्तुत की तब रायसिंह रेकर्डेड खातेदार था जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलान्ट ने ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये कि यह कृषि भूमि मौरूसी थी या नहीं, सोहनसिंह को मौरूसी प्राप्त हुई थी या स्वअर्जित सम्पत्ति थी। जब नामान्तरकरण दिनांक 04.06.2004 को स्वीकृत हुआ था तो दिनांक 29.12.2015 तक यानि 11 वर्ष 6 माह तक अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई एवं दिनांक 07.07.2014 को जब भूमि का विक्रय हो गया था तो उसको पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। यह पत्रावली जब न्याय आपके द्वार केम्प में दिनांक 20.06.2016 को पेश हुई तब जोधसिंह, भेरूसिंह ने राजीनामा से अपीलान्ट के नाम स्वीकार किया फिर जोधसिंह ने भूमि का विक्रय कर दिया तब अपील किस हैसियत से कर रहे है, विक्रय पत्र में आराजी नम्बर 1192 में जोधसिंह ने अपना सम्पूर्ण हक–हिस्सा विक्रय कर दिया। यह प्रश्न भी विचारणीय है? मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं समय कन्डोन का निवेदन किया है परन्तु 11 वर्ष 6 माह के समय कन्डोन के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। जमाबन्दी संवत् 2070–73 में क्रेता रायसिंह रेकर्डेड खातेदार है।

  यह सही है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया (summery proceeding) एवं सरसरी कार्यवाही (fiscal proceeding) है जिसमें पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निर्धारण एवं विनिश्चय नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर एवं तद्नुरूप विवाद्यक बिन्दु कार्य किये जाकर साक्ष्य/शहादत किया जाना विधि में प्रबाधित है। नामान्तरकरण खातेदार को उन्हें बिना सुने उनका नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने की कार्यवाही नितान्त अविधिक है। अपीलान्ट विवादित आराजीयात में अपना स्वत्व या हक (claim) रखती है तो सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलान्ट की अपील विरूद्ध

Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत शिशवी तहसील नाथद्वारा के आदेश दिनांक 04.06.2004 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।''

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित। अन्य पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस दिनांक 02.04.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट–1 ने अपील एवं बहस में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों/कथनों का दोहराते हुए यह भी प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट के पति की मृत्यु लगभग 35 वर्षो पूर्व हो गई। उक्त आराजीयात की भूमि रेस्पोडेंट को अपीलान्ट के पति ने उसकी मृत्यु पूर्व सौप दी थी। चूंकि प्रार्थीया के कोई संतान नहीं होने से प्रार्थीयां को 5 बीघा भूमि अलग से दी गई जो वसालीया वाली खादरी के नाम से जानी जाती है, इससे सम्बन्धित जमाबंदी की नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, उक्त भूमि पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट के पति के देहावसान के समय सभी रीतिरिवाज एवं खर्चा रेस्पोडेंट द्वारा किया गया। नामान्तरकरण संख्या–308 सम्बन्धित भूमि पर करीब 35 वर्षो से रेस्पोडेंट काबिज होकर भूमि का उपयोग कर रहे है। अपीलान्ट को कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत में नामान्तकरण के दौरान उपस्थित थी, मौखिक स्वीकृति भी प्रदान की, जिससे उसे नामान्तरकरण की जानकारी आरम्भ से थी परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष 12 वर्ष उपरान्त अपील पेश की जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पर तथ्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त अपीलार्थी की अपील खारिज की जो पूर्णतया विधि सम्मत है। साथ ही नामान्तरकरण अपील में हक अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकते, घोषणा का वाद पेश करना चाहिए। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी समक्ष न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का अंकन किया गया है। इन्ही तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने से अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने यह भी कथन किया कि प्रश्नगत अपील मयाद के बिन्दु पर ही अपास्त योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.11.2016 की जानकारी अपीलार्थी निर्णय के समय से ही थी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा समक्ष दिनांक 22.12.2016 को पेश किया, उक्त वाद के प्रार्थना में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.11.2016 का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में देरी का कोई पर्याप्त कारण बताये बिना अपील पेश की, जो निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी–1 ने न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017(1) पेज 711 पेश किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बहस एवं न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अध्ययन एवं तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार एवं विश्लेषण किया गया।

दौराने बहस सवप्रर्थम विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम के बिन्दु पर बहस सुनी जाकर आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण के तथ्यों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण संख्या 308 पारित किये जाने समय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने दौरान, कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस निर्णय के आगे के पेरा में विस्तृत विवेचन भी किया है, जो प्रासंगिक बिन्दु से सुंसंगत है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिप्रादित किया है कि देरी माफी के लिये लचीला रूख रखा जाना चाहिए। सर्वोच्य न्यायालय ने यह भी कहा है कि देरी को माफ नहीं करने से कई महत्वपूर्ण बिन्दु न्याय से वंचित हो जाते है। ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य होने से एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर देरी की। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की मियाद को माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चय करना उचित समझते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की उपरोक्त विवेचनानुसार अन्दर मयाद मानी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सोहनसिंह के चार पुत्र थे–प्रतापसिंह, उदयसिंह, जोधसिंह, भैरूसिंह। पुत्र उदयसिंह का देहान्त सोहनसिंह के जीवत रहते हुए ही हो गया, सोहनसिंह की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या–308 ग्राम झाड़सादडी तहसील देलवाडा का खोला गया जिसमें प्रतापसिंह, जोधसिंह, भैरूसिंह पिता सोहनसिंह के नाम खोल दिया गया जबकि पुत्र उदयसिंह की पत्नि अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या– 308 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि खातेदार सोहन सिंह की मृत्यु होने से उनके वारिसों के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के कार्यवाही आवश्यक होने से प्रकरण प्रस्तुत हुआ था, परन्तु सोहनसिंह के सभी विधिक वारिसान की जांच की गई, यह प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा सोहनसिंह का पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है, न ही अपने स्तर पर सभी वारिसान की जांच किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई। उत्तराधिकार के मामलों में स्वामित्व के विषय में संक्षिप्त जांच करना आवश्यक है, जो नहीं किया जाना प्रतीत होता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार एवं विश्लेषण नहीं कर निर्णय दिनांक 15.11.2016 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व की गई जांच/परीक्षण कार्यवाही पर किसी प्रकार का कोई विचार/विश्लेषण/परीक्षण किया जाना प्रतीत नहीं

Web Copy - Not Official

होता है, ऐसी स्थिति में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2016 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा का निर्णय दिनांक 15.11.2016 Bad in law होकर अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, नाथद्वारा सभी को सुनकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official